उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ विज्ञापन संख्या- 01-परीक्षा/2022

राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/02

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि –07-01-2022 ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि –28-01-2022 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि– 04-02-2022

विशेष कथन- उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28-01-2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा, जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28-01-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 04-02-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अविध में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या- 01-परीक्षा/2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/02 के अंतर्गत राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/02 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टिलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमित इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों कि मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना - इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धित (online application system) लागू है । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

आवेदन प्रक्रिया संबन्धी निर्देश

2.1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)— अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET-2021) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

- I. व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रिजस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है।
- II. ओ0टी0पी0 के माध्यम से (Through O.T.P.)- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रिजस्ट्रेशन नंबर व रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकता है।

2.2 आवेदन (Application)-

- इस भाग में लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पित का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मितिथ, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगी।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करेगा, तदुपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सिर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित करेगा।
- III. अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
- IV. वेब पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" बटन पर क्लिक करें। फार्म सबिमट होते ही "अभ्यर्थी का आवेदन पत्र" प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सिहत अन्य विवरण होगा।
- 2.3 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त "Continue" बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.4 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा।

2.5 फीस/ शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना (Fee Deposition & Final Submission of Application)-

- I- अभ्यर्थी निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ईचालान- के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। फीस/ शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ Proceed To Download and print The Application Form बटन प्रदर्शित होगा।
- II- अभ्यर्थी Proceed To Download and print The Application Form को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।
- III- ई-चालान के माध्यम से फीस/ शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस/ शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकता है।
- IV- यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह फीस/ शुल्क जमा करने की अविध में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/ Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- V- अभ्यर्थी उपर्युक्त के अतिरिक्त Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर PET रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर फीस/ शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- VI-अभ्यर्थी फीस/ शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस/ शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

VII- <mark>आवेदन फीस/ शुल्क</mark> – ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस/ शुल्क का विवरण निम्नवत है-

妍。 सं०	श्रेणी	आवेदन फीस/ शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया फीस/ शुल्क	फीस/ शुल्क योग (आवेदन फीस/ शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया फीस/ शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00
5	विकलांगजन हेतु	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस/ शुल्क देय होगा।
- अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा फीस/ शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस/ शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टिलस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टिलस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस/ शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।
- 2.6- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर PET रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस/ शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर जाकर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रिंट कर सकता है।

नोट- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

- (I) अभ्यर्थी आवेदन फीस/ शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर PET रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित Modify Application बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबिमट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।
- (II) अभ्यर्थी अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
 - a. नाम में वर्तनी की गलती।
 - b. पिता के नाम में वर्तनी की गलती।
 - c. पत्राचार का पता।
 - d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H. आदि)।
 - e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
 - f. लिंग (जेन्डर)।
 - g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- (III) आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 04-02-2022 तक ही अनुमन्य है । उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार मान्य होगा।

4- पदों का विवरण-

निम्नलिखित सारिणी-1 में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

豖.	विभाग का	पदनाम	वेतन	आयु	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
ŧі.	नाम		बैन्ड/ वेतनमान /ग्रेड-पे	(न्यूनतम- अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1-	राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।	लेखपाल	5200- 20200 ग्रेड वेतन- 2000	18-40	3271	1690	152	2174	798	8085	स्थायी/ अस्थायी

- 4.1- उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवानियमावली-2006 यथासंशोधित के नियम-4(3) में उल्लिखित है कि "लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 4.2- उपर्युक्त रिक्त पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हतायें अवश्य पढ़ लें तथा ये सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपर्युक्त सारणी में पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं।
- 4.3- अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबन्धित शैक्षिक अर्हता धारित (Acquired) Yes/No करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 4.4- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों /शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 4.5- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

5- क्षैतिज आरक्षण का विवरण –

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है -

सारिणी-2

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम		क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी		पदों की संख्या
			1	स्व0 संग्राम	। सेनानी के आश्रित	149
					(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	00
					(ख) ब्रधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	102
					(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	122
1	राजस्व परिषद्, उ०प्र०,	लेखपाल	2	विकलांग	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	00
	लखनऊ।				(इ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बिधर-अंधता सम्मिलित है।	85
			3	महिला		1604
			4	सैन्य वियो	जेत/भूतपूर्व सैनिक	387

- 5.1- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक- 20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।
- 5.2- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी॰सी॰-2, दिनांक 09-09-1999, संख्या-18/1/95-का-2/95, दिनांक-20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।
- 5.3- उपर्युक्त सारिणी-2 में उत्तर प्रदेश के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)अध्यादेश, 2018 में विहित व्यवस्था एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 द्वारा शासनादेश सं0-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13-01-2011 को अवक्रमित (निरस्त) करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह "क", "ख", "ग" एवं "घ" श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त शासनादेश में राजस्व विभाग के लेखपाल पद हेतु श्रवण शक्ति में हास (H.H.), रोगमुक्त कुष्ठ (L.C.), एसिड आक्रमण पीड़ित (A.A.B.), बहुदिव्यांगता (M.D.) श्रेणी/ उपश्रेणी चिंहांकित है।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उपर्युक्त सारिणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार (लम्बवत एवं क्षैतिज) रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 5.7- क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का उल्लेख आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त समेकित सूचना के आधार पर उपलब्ध कराये गये अधियाचन के अनुसार किया गया है।
- 5.8- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों / शासनादेशों में निर्धारित नीति-निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 5.9- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

6 -अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) - उपर्युक्त सारिणी-1 में उल्लिखित राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है-

सारिणी-03

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
01	राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।	लेखपाल	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- I- अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु-सीमा-

7.1- सारिणी-01 में उल्लिखित विभाग से संबन्धित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कलैंडर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली-2012 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

- 7.2- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।
- 7.3- शासनादेश दिनांक 28-11-1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- 7.4- भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयुसीमा में 03 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवाविध को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है।
- 7.5- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश के अद्यतन, नवीनतम, विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

7.6- उपर्युक्त प्रस्तर- 7.2 से प्रस्तर-7.5 में उल्लिखित आयुसीमा में छूट संबंधी प्रावधान समस्त विज्ञापित पदों पर लागू होंगे।

8- आरक्षण-

- 8.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.2- इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा— उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजनों तथा महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक अध्यादेश/ अधिनियम/ शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 8.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

9- चयन का आधार (लिखित परीक्षा)-

विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली-2015, दिनांक- 11 मई, 2015 एवं कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम- आयोग की सूचना संख्या-164/34/चार/आयोग/2020/टी0सी0, दिनांक 08-12-2021 द्वारा लेखपाल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो निम्नवत है-

लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयाविध दो घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

परीक्षा योजना

क्र.सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक	समय-अवधि
1.	सामान्य हिन्दी	25	25	
2.	गणित	25	25	02 घण्टा
3.	सामान्य ज्ञान	25	25	(120 मिनट)
4	ग्राम्य समाज एवं विकास	25	25	
	योग	100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक (25 प्रतिशत) होगी।

पाठ्यक्रम

1. सामान्य हिन्दी

समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से सम्बन्धित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

2. गणित

अंकगणित एवं सांख्यिकी

संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ-हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता। आंकड़ों का निरूपण, दण्ड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज। केन्द्रीय माप, समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक।

बीजगणित

लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें सम्बन्ध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणन खंड, क्षेत्रफल प्रमेय।

रेखागणित

त्रिभुज सम्बन्धी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब, समान्तर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल।

3- सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो।

भारत के इतिहास के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे।

विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक/पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषत: उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है।

कम्प्यूटर के प्रारम्भिक ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

4- ग्राम्य समाज एवं विकास

ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबन्धन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से सम्बन्धित योजनाएं।

11-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टिलस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में

या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 12.1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 12.2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 12.3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 12.4- उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे।
- 12.5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- 12.6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- 12.7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप हो।
- 12.8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- 12.9- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 12.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ॰प्र॰शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

- 12.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
- 12.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 12.14- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 12.15- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 12.16- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 12.17- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.18- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पृष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 12.19- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 12.20- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

- 12.21- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अत: सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहे।
- 12.22- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 12.23- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पित या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 12.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 12.25- अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
- 12.26- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

परिशिष्ट

उ०प्र०, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जिला जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के तहसील में सामान्यता रहता है। पूरा नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला जत्तर प्रदेश राज्य की पिछडी जाति के व्यवित है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसृचित जातियाँ, अनुसृचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम स्थान

पूरा नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिरट्रेट/परगना गजिरट्रेट/तहसीलदार

दिनांक

उ०प्र० के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME &	ADDRESS	S OF THE INSTITUTE/HOSPITAL	
Certificate	e No		
DISABILI	TY CERTI	TIFICATE	
	This is ce	ertified that Shri/Smt./Kum.	
	-	r of Shri age	
Sex following		identification mark (S) is suffering from perm	anent disability of
A.	Locomoto	for of cerebral palsy:	
	(i)	BL-Both legs affected but not arms.	
	(ii)	BA-Both arms affected	
		(a) Impaired reach	
		(b) Weakness of grip	
	(iii)	BLA-Both legs and both arms affected	
	(iv)	OL-One leg affected (right or left)	
		(a) Impaired reach	
		(b) Weakness of grip	
		(c) Ataxic	
	(v)	OA-One arm affected	
		(a) Impaired reach	
		(b) Weakness of grip	
		(c) Ataxic	
	(vi)	BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)	
	(vii)	MW-Musculer weakness and limited physical endurance.	
B.	Blindnes	ss or Low Vision:	
	(i)	B-Blind	
	(ii)	PB-Partialy Blind	
C.	Hearing	Impairment:	
	(i)	D-Deaf	
	(ii)	PD-Partialy Deaf	
	(Delete t	the category whichever is not applicable)	
2. recomme	This con ended/is re	ndition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn recommended after a period of	of this case is not months.
3.	Percenta	age of disability in his/her case is percent.	
4. his/her d		t./Kum meets the following physical requirem	ents discharge of
(i)	F-can pe	erform work by manipulating with figers. Yes/No	
(ii)	PP-can	perform work by pulling and pushing Yes/No	
(iii)	L-can pe	erform work by lifting Yes/No	
(iv)	KC-can	perform work by kneeling and couching. Yes/No	
(v)	B-can pe	perform work by bending.	
(vi)	S-can pe	perform work by sitting. Yes/No	
(vii)	ST-can	perform work by standing. Yes/No	
(viii)	W-can p	perform work by walking Yes/No	
(ix)	SE-can	perform work by seeing. Yes/No	
(x)	H-can p	perform work by hearing/speaking. Yes/No	

(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr)	(Dr)	(Dr)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)
Strike out which is not applicable.		
उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम से	नानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण	<u>- पत्र</u>
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	निवासी	प्राम
तहसील नगर लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकर्लाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आं	श्रित और भृतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) आ	उत्तर प्रदेश धेनियम १९९३ के अनसार स्वतंत्रता संग्राम
त्तंनानी हैं और श्री/श्रीमती/कृमारी (आश्रित)	पुत्र/पुत्री/पोत्र/पोत्री विवाहित/अ	विवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही
इस्ताक्षर	पूरा	नाम
स्थान	मुह	₹
दिनांक	জি	नाधिकारी
	सीर	न,
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्र	माण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवा	सी हैं
शासनादेश संख्या-22/21/	1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985	
प्रमाण	पत्र के फार्म - 1 से 4	
	प्रारूप — 1	
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर	से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में माग लेने वाले	खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन क नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र	ज नाम	राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुनारी	आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री	
पूरा पता ने दिनांक अयोजित (क्रीडा / खेल-कृद का न	सं दिनांक तक	(स्थान का नाम) में
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दुर्नामेन्ट में	500 Carlo Ca	. त. नाम ।लचा ।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यह		में सामका विकार्त के
आधार पर दिया गया है।	t titel of the real one)	न ७५लच्च १४का७ क
स्थान	इस	ताक्षर
दिनांक	नाम	f
	पद	********************************
	संर	था का नाम
नोटः यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सथिव द्व		मुहर

Page **16** of **19**

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में माग लेने व	ले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खंल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)	की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुराल
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ते दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) की प्रतियो आयोजित राष्ट्रीय में उनके टीम के द्वारा उन्ता प्रतियोगिता / दूर्नामेन्ट में	गिता (दर्नामेन्ट स्थान का नाम
यह प्रमाण-पन्न	
स्थान	इस्ताक्षर
दिनांक	नाम
	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मुहर
नोटः यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान प्रारूप-3	
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्याल प्रतियोगिता में मा	ग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाऑ / पदाँ पर नियुक्त प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मज / पत्नी / आत्मजा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक (श्थान का नाम) में आयोजित अन्तविश्वविद्यालय (क्रीडा / खंल-कूद का नाम) विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / दूर्नामन्द में डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खंल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिश्	श्री निवास (पूरा . से दिनांक
स्थान	हस्ताक्षर
दिनाक	नाम
पद	संस्था का नाम
	मुहर
नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय कं डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये ।	इस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
प्राक्तप–4	
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-खूद में भाग लेने व	ाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रशन्म / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश तिये कुशल खिलाडियों के तिये प्रमाण-पत्र	राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति कं
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	ने दिनांक
यह प्रमाण-पत्र जायरेक्ट्रेट ऑफ पव्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में जपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।	
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	नाम
9599 1024 1	पद
	संस्था का नाम
	पता
	मृहर
नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्ष	
रूप से हस्ताक्षर होनं पर मान्य होगा।	

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और मूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती	निवासी
ग्राम तहसील नग	T₹,
जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (श	गारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के	लिए आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/	कुमारी (आश्रित)
पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री	का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) ख	परांकित अधिनियम, 1993
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्र	त्रता संग्राम सेनानी)
के आश्रित हैं।	
स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
	पदनाम
	मुहर
	जिलाधिकारी
	(1 2)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

(प्रपन- I) रूनर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार			
कार्यालय का नाम			
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र			
प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक			
वित्तीय वर्ष के लिए मान्य			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी			
पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा			
पोस्ट ऑफिसथाना			
तहसील राज्य			
पिन कोड के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से			
कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वितीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8			
लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति			
नहीं है:-			
 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर । 			
 एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। 			
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय			
भूखण्ड।			
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय			
भूखण्ड।			
2. श्री/श्रीमती/कुमारी के			
सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।			
Market and the second s			
हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)			
पूरा नाम			
आवेदक का पासपोर्ट साईज का पदनाम अभिप्रमाणित काटोगाफ			
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी			
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।			